सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 217/प्रा0पत्र/2022 दायरा दिनांक :–06.12.2022

GCMS ID–2022/115

1. जगदीश सिंह पिता छोटूलाल जाति रावणा राजपूत निवासी धोवडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. भंवरलाल खानावत पिता मदनलाल जाति रावणा राजपूत निवासी धोवडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. मोहनलाल आ0 मथुरालाल जाति रावणा राजपूत निवासी धोवडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. हेमनत सिंह खानावत पिता मदनलाल जाति रावणा राजपूत निवासी धोवडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. हेमराज सिंह पिता मदनलाल जाति रांवणा राजपूत निवासी धोवडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री शम्भूदयाल शर्मा
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

दिनांक :– 30/05/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा संख्या 1699, 1700, 1701, 1703, 2041, 2042, 2043 कुल किता 7 कुल रकबा 2.2744य हैक्टेयर वाके ग्राम धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में स्थित है इसके साथ ही खसरा संख्या 1702 रकबा 0.3804 हैक्टेयर वाके ग्राम धोवडा में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण की जाति दरोगा लिखी हुई है जो राजस्थान राज्य की ओ0बी0सी0 की सूची में वर्तमान क्रम संख्या 12 है जो कि इसी सूची के अनुसार रावणा राजपूत के नाम से भी पहचानी जाती है। और यह भी क्रम संख्या 12 पर ही दर्ज है। प्रार्थीगण भंवरलाल का जाति प्रमाण पत्र भी रावणा राजपूत के नाम से जारी हुआह है और प्रार्थी हेमराज सिंह के पुत्र सोनू सिंह व मोनू सिंह का उपखण्ड कार्यालय हिण्डोली द्वारा दिनांक 20.08.2018 से

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

जाति प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है जिसके साथ ही प्रार्थी भंवरलाल की पुत्री पूजा कुमारी खानावत का जाति प्रमाण उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 29.07.2016 को जारी किया हुआ है। प्रार्थीगण की जाति रावणा राजपूत है लेकिन राजस्व रिकार्ड में दरोगा अंकित किया हुआ है जिसको दुरूस्त किया जाना न्योयोचित एवं आवश्यक है। राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जयपुर अधिसूचना एफ 11–125/आर0एडपी/सकवी/52307 दिनांक 06.08.1994 से दरोगा जाति के स्थान पर रावणा राजपूत दर्ज किये जाने निर्देश जारी किये है। क्योंकि वजीर हजूरी, दरोगा, रावणा राजपूत चारो वर्ग की जातिया है और यह सभी अन्य पिछडा वर्ग के रूप में पूर्व से अधिसूचना 6 अगस्त 1994 द्वारा क्रम संख्या 11 पर अधिसूचित है। इसके साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिनांक 23.01.2018 को भी दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत दर्ज किये जाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर समस्त जिला कलक्टर को आदेशित किया गया है कि इसी प्रकार राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुफ–6) विभाग क्रमांक प. 3(2) राज–6/2021 दिनांक 07.12.2021 द्वारा समस्त जिला कलक्टर को राजस्व विभाग द्वारा राजस्व अभिलेखों में जाति नाम संशोधन के संबंध में जारी प्रपत्र दिनांक 26.12.1995, 01.11.1996, 18.06.2007, 25.10.2007, 28.12.2017 एवं 23.12.2020 में दिए गये निर्देशों की पालना करने हेतु आदेशित किया गया है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जाति के गलत इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने में कानूनी रूप में कोई बाधा नहीं है। राजस्थान राज्य की ओ0बी0सी0 की सूची में क्रम संख्या 12 पर दर्ज दरोगा व रावणा राजपूत समान वर्ग के है ऐसी स्थिति में दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत राजस्व रिर्कार्ड में दर्ज कर दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत दुरूस्त करने में कोई अडचन नहीं है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में दिनांक 18.05.2023 को प्रस्तुत मौका पर्चा जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम धोवडा की भूमि खाता संख्या 70 में दर्ज अपनी जाति दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत शुद्ध दर्ज करवाना चाहता है। पेरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश कर मुताबिक जॉच रिपोर्ट व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर की ओर से जारी परिपत्र क्रमांकः–5353 दिनांक 23.01.2018 अनुसार दरोगा व रावणा राजपूत एक ही जाति के होने से प्रार्थीगण की जाति दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत दर्ज किया जाना उचित अंकित किया है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की जाति दरोगा अंकित हो रही है, जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर की ओर से जारी परिपत्र क्रमांकः–5353 दिनांक 23.01.2018 अनुसार सम्मानजनक रावणा राजपूत दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276445

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जवाब पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर की ओर से जारी परिपत्र क्रमांक :– एफ 11 (125)/आरएण्डपी/सकवि/5353 दिनांक 23.01.2018 अनुसार एवं राजस्व विभाग द्वारा राजस्व अभिलेखों में जाति नाम संशोधन के संबंध में जारी प्रपत्र दिनांक 26.12.1995, 01.11.1996, 18.06.2007, 25.10.2007, 28.12.2017 एवं 23.12.2020 में दिए गये निर्देशों अनुसार प्रार्थीगण की जाति दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम धोवडा पटवार मण्डल धोवडा के खाता संख्या 70 में दर्ज सहखातेदारों की जाति दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की ज़ावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 30.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

30/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446